कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
सरगुजा, अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़)

कमांक/8058/शिक्षा वि./मान्यता–अनुमति/2024–25 अम्बिकापुर दिनांक– 10/10/24

प्रति,

प्रबंधक
कार्मेल स्कूल
अम्बिकापुर ,सरगुजा।

विषयः–कार्मेल स्कूल, नमनाकला, अम्बिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ में घटित घटना दिनांक 02 अक्टूबर 2024.

संदर्भः–(1) कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बिकापुर, सरगुजा का ज्ञापन क्र./9739/शिकायत–जाँच/2024–25 दिनांक 02 अक्टूबर 2024 एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी अम्बिकापुर और जिला शिक्षा अधिकारी का सह–संलग्न जाँच प्रतिवेदन।

(2) कार्यालय कलेक्टर, जिला सरगुजा, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ का कारण बताओ सूचना–पत्र क्रमांक/555/शिकायत/2024 दिनांक 02 अक्टूबर 2024

(3) कार्मेल स्कूल, नमनाकला, अम्बिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर Ref.No. CSA/DM/2024.25 Dated 03 October 2024

–0–

उपरोक्त विषय में प्राप्त शिकायत एवं सजगता व तत्परता से की गई प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संस्था को संदर्भ क्रमांक–2 के अनुरुप कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया गया था, जिसका लिखित प्रत्युत्तर संस्था की प्राचार्य के हस्ताक्षर से, संदर्भ क्रमांक–3 के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। प्राप्त प्रत्युत्तर में–

(1) राष्ट्रीय अवकाश दिवस 02 अक्टूबर 2024 को सिर्फ ख्रीस्तीय अभिभावकों के निवेदन पर और उनकी सहमति से लगभग 200 बच्चों को प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाने वाली कैथलिक वार्षिक बाल सम्मेलन से संबंधित मूल्यदृष्टित निर्देश देने हेतु उनकी अनुमति से बुलाया जाना स्वीकार किया है, किन्तु उनके द्वारा –

(a) ख्रीस्तीय अभिभावकों के निवेदन अभ्यावेदन अथवा सहमति पत्र की कोई प्रति जवाब के साथ संलग्न नहीं किया गया है। Article-18 of United Nations Children Rights के तहत् 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के मामले में माता–पिता को ही ऐसी सहमति देने का अधिकार है। जिसका पालन किए जाने का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(b) संख्यात्मक रुप से यह 200 से अधिक व्यक्तियों का समान उद्धेश्य से एकत्र होने का मामला था और इसके लिए संस्था को किसी प्रशासनिक अनुमति की आवश्यकता नहीं थी, किन्तु 02 अक्टूबर को स्वच्छता संबंधी विभिन्न

दूरभाष क्र. 07774-220701
निवास 07774-240700

कार्यालय कलेक्टर जिला–सरगुजा, अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़)

क्रमांक/ 8060 /शिक्षा/2024, अम्बिकापुर, दिनांक 10/10/ 2024

प्रति,

सचिव
छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटलनगर

विषयः– कार्मेल स्कूल, नमनाकला, अम्बिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ में घटित घटना दिनांक 02 अक्टूबर 2024।

संदर्भः– (1) कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बिकापुर, सरगुजा का ज्ञापन क्र/9739/ शिकायत–जाँच/2024–25 दिनांक 02 अक्टूबर 2024 एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी अम्बिकापुर और जिला शिक्षा अधिकारी का सह–संलग्न जाँच प्रतिवेदन।
(2) कार्यालय कलेक्टर, जिला सरगुजा, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ का कारण बताओ सूचना–पत्र क्रमांक/ 555/शिकायत/2024 दिनांक 02 अक्टूबर 2024
(3) कार्मेल स्कूल, नमनाकला, अम्बिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर Ref.No. CSA/DM/2024–25 Dated 03 October 2024

––00––

विषयान्तर्गत दिनांक 02.10.2024 को प्रातः लगभग 8.45 बजे दूरभाष पर कुछ पालकों तथा स्थानीय नागरिकों द्वारा यह शिकायत प्राप्त हुई कि कार्मेल स्कूल का संचालन आज राष्ट्रीय अवकाश के दिन भी किया जा रहा है। गांधी जयंती राष्ट्रीय अवकाश के दिन कॉर्मेल स्कूल अम्बिकापुर में स्कूली यूनिफार्म में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को बुलाया गया है एवं कई बच्चे लगातार विद्यालय की ओर जा रहे हैं। उक्त शिकायत की पुष्टि हेतु जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्मेल स्कूल की प्राचार्या सिस्टर ट्रिसा से दूरभाष पर सम्पर्क किया गया। उनके द्वारा किसी भी विद्यार्थी को विद्यालय बुलाने से इंकार किया एवं शिकायत का खण्डन किया गया कि आज राष्ट्रीय अवकाश के दिन विद्यालय बंद है। किन्तु पुनः कई अभिभावकों द्वारा दूरभाष पर यह जानकारी दी गई कि विद्यालय प्रबंधन की गतिविधियां संदिग्ध लग रही हैं, हम सभी विद्यालय परिसर के नजदीक हैं, अभी भी विद्यार्थियों का विद्यालय परिसर के अंदर जाना लगा हुआ है इसकी जॉच की जाए। उसके पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा आपसी समन्वय कर पुलिस बल के साथ कार्मेल स्कूल का जॉच मौके पर उपस्थित होकर किया गया।

क्रमशः.. 02

उपरोक्त स्पष्ट व व्याख्यात्मक न्यायालयीन टिप्पणी से यह स्पष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 28(1) के तहत् दी गई छूट की भी कुछ शर्तें और सीमाएं हैं जिसका उल्लंघन 02 अक्टूबर 2024 को संस्था द्वारा किया गया है।

(4) प्राचार्य ने प्रत्युत्तर में कारण बताओ सूचना पत्र के बिन्दु–4 पर तत्समय विद्यालय परिसर में धर्म–गुरु की उपस्थिति के बारे में पूछे गए प्रश्न के संबंध में लेख किया है कि – घटना के दौरान कोई धर्म–गुरु मौजूद नहीं था। इस विषय में –

(a) प्रतिवेदित अधिकारी द्वय के प्रतिवेदन को अमान्य किया गया है और खीस्त समाज के प्रतिनिधियों के आगमन की बात कही है।

(b) यहां यह प्रश्न विचारणीय है कि संस्था प्रमुख जिन्होने आयोजन के पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों को कोई सूचना दिया जाना जरुरी नहीं समझा उन्होने बिगड़ती स्थिति को देख खीस्त समाज के प्रतिनिधियों को बुलाना उचित समझा और अपनी गलती को सांप्रदायिक रंग देकर बचाव का प्रयास किया है। जो कि अनुचित प्रयास है।

(5) कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित निम्नांकित बिन्दुओं पर प्राचार्य ने कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया है –

(a) पूर्व में बसंत पंचमी के अवसर पर विद्यालय परिसर में सरस्वती पूजन की अनुमति नहीं देने के परिणाम स्वरुप विद्यालय परिसर में विवाद की स्थिति निर्मित होने तथा प्रशासनिक मध्यस्थता पश्चात् स्थिति नियंत्रित होने के बारे में उन्होने कोई जवाब नहीं दिया है।

वहीं उन्होनें, 02 अक्टूबर 2024 को, लगभग 200 बच्चों के कैथलिक वार्षिक बाल सम्मेलन के आयोजन की अनुमति देना स्वयं स्वीकारा है। इससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा धर्म–निरपेक्षता के संवैधानिक प्रत्याशा के विपरीत आचरण किया गया है।

(b) विद्यालय की छात्रा के आत्महत्या के पूर्व प्रकरण के संबंध में भी उन्हाने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है। उस घटना के दौरान भी विद्यालय प्रबंधन/प्रशासन के विरुद्ध उद्ववेलित जन–आक्रोश को जिला प्रशासन के द्वारा नियंत्रित किया गया था।

धर्म निरपेक्षता भारत के संविधान की आत्मा है। संविधान के 42 वां संशोधन के अनुसार संविधान की मूल संरचना को किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। माननीय सुप्रीप कोर्ट ने भी स्पष्टतः कहा है कि संविधान के मूल संरचना को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। आपके द्वारा अपने संस्था में विशेष वर्ग के बच्चों को बुलाकर स्कूल में विशेष धर्म की शिक्षा दी जा रही है। स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनका समाज एवं देश के प्रति जो नजरीया तैयार होता है वह विद्यालय से तैयार होता है। विद्याालय में यदि धर्म विशेष की शिक्षा दी जायेगी तो बच्चे धर्म निरपेक्ष कैसे बनेंगे। आपके द्वारा धर्म विशेष की शिक्षा दिये जाने से बच्चे धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकेंगे। विशेष धर्म के बच्चों को बुलाकर विशेष धर्म की शिक्षा दी जायेगी तो वे बच्चें अन्य धर्म के बच्चों के प्रति भेदभाव रखेंगे तथा बड़े होने पर उनमें संविधान की मूल भावना को पालन करने का भाव पैदा नहीं हो पायेगा। आपको जारी नोटिस के जवाब में आपके द्वारा यह

सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान कानून–व्यवस्था बनाए रखने के सामान्य उत्तरदायित्व की दृष्टि से अनुविभागीय दण्डाधिकारी को लिखित सूचना दिया जाना चाहिए था, ताकि किसी अप्रिय स्थिति में बच्चों, अभिभावको और विद्यालय की सम्पत्ति की समुचित सुरक्षा की जा सके। जो कि नहीं की गई।

प्रत्युत्तर में प्राचार्य ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना के दौरान विद्यालय परिसर मे असामाजिक तत्वों द्वारा शान्ति भंग किए जाने पर उन्होने दूरभाष द्वारा 9.48am पर इसकी सूचना पुलिस को दिया। यह उनकी अदूरदर्शिता का द्योतक है जिससे घटना स्थल में तत्समय मौजूद बच्चों की सुरक्षा खतरे में आ गई थी।

(2) बच्चों को शालेय गणवेश में बुलाए जाने के संबंध में प्राचार्य ने लिखा है कि अवकाश के दिन गणवेश में आने में किसी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, जो कि सही नहीं है–

(a) शालेय गणवेश की अनिवार्यता बच्चों को विद्यालय परिसर में "धर्म निरपेक्षता" की मूल संवैधानिक भावना के अनुरुप बगैर किसी भेदभाव के समभाव की वेशभूषा में रहने के उद्धेश्य की पूर्ति करता है। यह संस्था की और उसके विद्यार्थियों की पहचान है। इसलिए गैर शैक्षणिक व विशेष धार्मिक आयोजन में शालेय गणवेश का उपयोग मात्र बच्चों की पहचान के लिए किया जाना उचित नहीं है। इसके लिए उनका पहचान पत्र ही पर्याप्त था।

(b) प्राचार्य ने यह भी लेख किया है कि वर्तमान में देश में चल रहे धर्मान्तरण के आरोपों की संभावना को देखते हुए छात्रों को यूनीफार्म तथा आई.डी. के साथ बुलाया गया था। उन्हे डर था कि बाहरी बच्चे इसमें शामिल होकर दुर्भावना से संस्था और ख्रीस्तीय समाज को बदनाम करने का प्रयास करेंगे।

अपनी आशंकाओं के बाद भी प्राचार्य ने प्रशासन को सूचित करना आवश्यक नहीं समझा तथा बच्चों की सुरक्षा को नजर अंदाज करते हुए मात्र संस्था और समाज की बदनामी को ध्यान में रखकर अपने जवाब को तैयार रखने का कृत्य किया।

(3) प्राचार्य ने प्रत्युत्तर के बिन्दु–4 पर लेख किया है कि – भारतीय संविधान के अनुच्छेद–28 के द्वारा केवल शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों में धार्मिक क्रियाकलापों को वर्जित किया गया है। कार्मेल स्कूल अम्बिकापुर गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक निजी विद्यालय है जिस पर यह बात लागू नहीं होती है। इस संबंध में महत्वपूर्ण न्यायालयीन दृष्टान्त अधोलिखित है –

(a) माननीय उच्च न्यायालय केरला के द्वारा याचिका क्रमांक WP(C) No. 25006

अन्य विरुद्ध भारत संघ व अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में टिप्पणी करते हुए कहा है कि –

"संविधान के अनुच्छेद 28(1) के तहत् सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देश प्रदान करने पर पूर्ण प्रतिबंध है। हालांकि हमारा संविधान अनुच्छेद 28(3) के तहत् मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं को अभिभावकों की सहमति से धार्मिक निर्देश देने की इजाजत देता है"

इस पर, धार्मिक निर्देश और धार्मिक शिक्षा के बीच अन्तर को रेखांकित करते हुए कोर्ट ने कहा कि संविधान में शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन शैक्षणिक संस्थाओं में किसी धर्म विशेष के निर्देश देने पर प्रतिबंध है।

न्यायालय ने यह भी कहा है कि –"राज्य या सार्वजनिक अधिकारियों या निजी निकायों द्वारा सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में, दूसरे धर्मों पर एक धर्म की विशिष्टता या वरीयता, हमारे संविधान के मौलिक मूल्यों में से एक धर्मनिरपेक्षता की जड़ों पर हमला करता है। यह तटस्थता की उपेक्षा करता है, भेदभाव को बढ़ावा देता है और समान उपचार से इन्कार करता है।"

"निजी स्कूल, जिन्हे सरकारी मान्यता की आवश्यकता होती है, उन्हे दूसरे धर्मों पर एक धर्म पर बढ़ावा नहीं देना चहिए। निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किसी विशेष धर्म का विशेष प्रचार, संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र का विरोध करता है और संवैधानिक मूल्य और नैतिकता से इन्कार करता है।"

"An individual or a group or a denomination have the freedom to express and to promote and practice their religion. That freedom is not available to a private body while discharging a public function. In a pluralist society like India, which accepts secularism as the basic norm in governing secular activities including education, there cannot be any difficulty in imparting religious instruction or study based on religious pluralism what is prohibited is exclusivism."

(b) कार्मेल स्कूल अम्बिकापुर को, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर, सरगुजा के आदेश क्रमांक/2588/मान्यता–अनुमति/2024 दिनांक 07 मार्च 2024 के द्वारा, अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा अधिनियम–2011 के प्रावधानों के तहत्, कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के संचालन की अस्थाई सशर्त मान्यता (विद्यालय संचालन की अनुमति) 01 जुलाई 2024 से 30 जून 2026 तक की अवधि के लिए प्रदान किया गया है।

02 अक्टूबर 2024 का उक्त धार्मिक आयोजन, अनुमति आदेश की शर्त–11 "विद्यालय भवन या अन्य निर्माण या मैदान का दिन या रात में व्यावसायिक या आवासीय उद्धेश्यों (विद्यालय के किसी कर्मचारी के आवासीय प्रयोजन को छोड़कर) या राजनैतिक या अन्य प्रकार के अशैक्षणिक उपयोग नहीं किया जाएगा" का स्पष्टतया उल्लंघन है।

उल्लेखित किया गया है कि विशेष धर्म के बच्चों को धार्मिक शिक्षा हेतु विद्यालय बुलाया गया था। इससे संविधान की मूल भावना का स्पष्टतः उल्लंघन किया जाना प्रतीत होता है।

उपर वर्णित तथ्यात्मक विवेचन से यह स्पष्ट है कि कार्मेल स्कूल नमनाकला अम्बिकापुर की संस्था प्रमुख अर्थात् प्राचार्य और प्रबंधन, बार–बार अपने प्रशासनिक व नैतिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में अक्षम साबित हुए हैं। उनके स्वेच्छाचारी कार्यशैली के कारण विगत् एक वर्ष से कम की अवधि में ही एक से अधिक अवसरों पर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है तथा बच्चों की सुरक्षा पर आँच आई है।

अतः इस संबंध में संस्था की सम्बद्धता के विषय में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल को प्रतिवेदित किया जाना तथा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अम्बिकापुर द्वारा जारी मान्यता (कक्षा संचालन की अनुमति) को निरस्त करने की आवश्यकता है।

10/10/2024

कलेक्टर एवं
जिला दण्डाधिकारी
सरगुजा,अम्बिकापुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/8059/शिक्षा वि./मान्यता–अनुमति/2024–25 अम्बिकापुर दिनांक– 10/10/24

प्रतिलिपि–

1. सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अम्बिकापुर को सूचनार्थ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर को सूचनार्थ। कार्मेल स्कूल नमनाकला, अम्बिकापुर की मान्यता (स्कूल संचालन की अनुमति) को निरस्त करना सुनिश्चित करें।

10/10/2024

कलेक्टर एवं
जिला दण्डाधिकारी
सरगुजा,अम्बिकापुर (छ.ग.)

उपरोक्त विषय में प्राप्त शिकायत एवं सजगता व तत्परता से की गई प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संस्था को संदर्भ क्रमांक–2 के अनुरुप कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया गया था, जिसका लिखित प्रत्युत्तर संस्था की प्राचार्य के हस्ताक्षर से, संदर्भ क्रमांक–3 के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।

प्राचार्य द्वारा 02 अक्टूबर को स्वच्छता संबंधी विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान कानून–व्यवस्था बनाए रखने के सामान्य उत्तरदायित्व की दृष्टि से अनुविभागीय दण्डाधिकारी को लिखित सूचना दिया जाना चाहिए था, ताकि किसी अप्रिय स्थिति में बच्चों, अभिभावको और विद्यालय की सम्पत्ति की समुचित सुरक्षा की जा सके। जो कि नहीं की गई।

प्राचार्य ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना के दौरान विद्यालय परिसर मे असामाजिक तत्वों द्वारा शान्ति भंग किए जाने पर उन्होने दूरभाष द्वारा 9.48am पर इसकी सूचना पुलिस को दिया। यह उनकी अदूरदर्शिता का द्योतक है जिससे घटना स्थल में तत्समय मौजूद बच्चों की सुरक्षा खतरे में आ गई थी।

प्राचार्य ने प्रशासन को सूचित करना आवश्यक नहीं समझा तथा बच्चों की सुरक्षा को नजर अंदाज करते हुए मात्र संस्था और समाज की बदनामी को ध्यान में रखकर अपने जवाब को तैयार रखने का कृत्य किया।

कारण बताओ सूचना–पत्र में उल्लेखित निम्नांकित बिन्दुओं पर प्राचार्य ने कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया है –

(a) पूर्व में बसंत पंचमी के अवसर पर विद्यालय परिसर में सरस्वती पूजन की अनुमति नहीं देने के परिणाम स्वरुप विद्यालय परिसर में विवाद की स्थिति निर्मित होने तथा प्रशासनिक मध्यस्थता पश्चात् स्थिति नियंत्रित होने के बारे में उन्होने कोई जवाब नहीं दिया है।

वहीं उन्होनें, 02 अक्टूबर 2024 को, लगभग 200 बच्चों के कैथलिक वार्षिक बाल सम्मेलन के आयोजन की अनुमति देना स्वयं स्वीकारा है। इससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा धर्म–निरपेक्षता के संवैधानिक प्रत्याशा के विपरीत आचरण किया गया है।

(b) विद्यालय की छात्रा के आत्महत्या के पूर्व प्रकरण के संबंध में भी उन्हाने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है। उस घटना के दौरान भी विद्यालय प्रबंधन/प्रशासन के विरुद्ध उद्ववेलित जन–आक्रोश को जिला प्रशासन के द्वारा नियंत्रित किया गया था।

कार्मेल स्कूल नमनाकला अम्बिकापुर की संस्था प्रमुख अर्थात् प्राचार्य और प्रबंधन, बार–बार अपने प्रशासनिक व नैतिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में अक्षम साबित हुए हैं। उनके स्वेच्छाचारी कार्यशैली के कारण विगत् एक वर्ष से कम की अवधि में ही एक से अधिक अवसरों पर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है तथा बच्चों की सुरक्षा पर आँच आई है।

अतः इस संबंध में संस्था की सम्बद्धता के विषय में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल को प्रतिवेदित किया जाना तथा विद्यालय संचालन हेतु मान्यता कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर, सरगुजा के आदेश क्रमांक/2588/मान्यता–अनुमति/2024 दिनांक 07 मार्च 2024 (कक्षा संचालन की अनुमति) को निरस्त करने एवं राज्य स्तरीय आडिट दल से विद्यालय के आय–व्यय का आडिट कराये जाने की आवश्यकता है।

संलग्न–संदर्भित पत्र कमांक–01, 02 एवं 03

10/10/2024

कलेक्टर
जिला–सरगुजा